

Order Sheet [Contd]

Case No 49 / 2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>25.01.2017</p> <p>परिवादी की ओर से श्री विकास कांकर अधिवक्ता।</p> <p>अधिवक्ता श्री सुनील कांकर द्वारा मय बकालातनामा के एक आवेदनपत्र वास्ते प्रकरण शीघ्रसुनवाई एवं एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 44(2) जा.फौ. का पेश कर निवेदन किया कि आरोपी/आवेदक नाथूराम प्रकरण में समर्पण करना चाहता है प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिया जावे।</p> <p>विचारोपरांत आवेदनपत्र स्वीकार प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिया गया।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक/आरोपी के विरुद्ध परिवादी म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कम्पनी मौ के द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत परिवाद पेश किया गया है जिसमें कि आरोपी के विरुद्ध वारंट जारी है। आवेदक/आरोपी प्रकरण में वांछित होने से उसे अभिरक्षा में लिया जाता है। आरोपी का जेल वारंट बनाकर उप जेल गोहद भेजा जावे।</p> <p>इसी स्टेज पर आरोपी अधिवक्ता श्री सुनील कांकरद्वारा एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 वास्ते नियमित जमानत पेश कर निवेदन किया कि आवेदक के द्वारा किसी भी प्रकार से विद्युत की कोई चोरी नहीं की गई है। उसे उक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है। परिवादी के द्वारा असत्य घटना का वर्णन करते हुए उसके विरुद्ध परिवादी पेश किया है। आवेदक ग्राम बरोली कॉलोनी थाना मौ का स्थाई निवासी है वह जमानत की समस्त शर्तों का पलान करेगा अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आवेदक/आरोपी के विरुद्ध परिवादी विद्युत विभाग के द्वारा धारा 135 विद्युत अधिनियम का परिवादपत्र न्यायालय में पेश किया गया है। जिसमें कि विजीलेंस टीम के द्वारा चैकिंग करने पर आरोपी द्वारा विद्युत लाइन</p>	

से तीन तार डालकर विद्युत का अप्राधिकृत रूप से उपयोग कर विद्युत चोरी कर रहा था, जिससे 5 एच.पी. की चोरी की जा रही थी।

आरोपी अधिवक्ता ने अपने तर्क में व्यक्त किया कि आरोपी को प्रकरण में झूठा लिप्त किया गया है। आरोपी प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा एवं जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। विचारोपरांत उपरोक्त सभी तथ्यों को देखते हुए प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों में जबकि आवेदक के द्वारा विद्युत की राशि जमा करने का आश्वासन दिया गया है, आवेदक को जमानत पर छोड़ा जाना उचित है। उसकी ओर से 15,000/- रुपए की सक्षम जमानत एवं इसी राशि का स्वयं का बंधपत्र इस आशय का पेश हो कि वह प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा एवं वह किसी भी प्रकार से अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। उक्त शर्तों के अधीन जमानत पेश हो तो उसे जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत किया जाता है।

प्रकरण में पूर्व पेशी दिनांक को निरस्त करते हुए प्रकरण

आरोप तर्क/नेशनल लोक अदालत के समक्ष दिनांक 11.02.

2017 को पेश हो।

(डी.सी.थपलिया)

विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)